



नहरी कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों से अपील व नहरों को चलाने सम्बन्धित सूचना

1. सिंचाई विभाग के नियम व विनियम के नियम 26 के अनुसार राजकीय नहरों व गुलों से होकर व्यक्तिगत पानी द्वारा सिंचाई करने पर सिंचाई कर देय होगा। यदि किसी कारणवश इन साधनों को प्रयोग न करना हो तो शासनादेश सं० 8478 एम० जी० 7023 आई० ओ० दिनांक 17-10-70 के अन्तर्गत फसल बोनो के दिन के पहले सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को सूचना दें कि किस विशेष फसल में नहर का पानी प्रयोग नहीं कर निजी साधन का प्रयोग करेंगे। अनुमति प्राप्त उपरान्त नहरी पानी का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर दण्ड स्वरूप सामान्य सिंचाई शुल्क की तीन गुनी धनराशि के साथ सामान्य शुल्क भी वसूल किया जायेगा।
2. कृषक गण अवैधानिक सींच वितरणी व अल्पिका को काटकर, बन्धा लगाकर अथवा अनुचित कुलाबे लगाकर करते है इससे नीचे के कृषकों को समय से पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। विभागीय अधिकारी व कर्मचारी को अवैधानिक कार्यवाही को नियन्त्रित करने हेतु समय देने से अन्य कार्य सुचारु रूप से नहीं कर पाते हैं। कृषकगण से अनुरोध है कि उक्त अवैधानिक कार्य न करें ताकि विभाग को तावान लगाने, पुलिस कार्यवाही तथा अन्य दण्ड कार्यवाही न करनी पड़े ।
3. गुल टूटी व भरी रहने से पानी ठीक प्रकार से खेतों मे नहीं जा पाता है। इससे पानी बरबाद हो जाता है तथा पैदावार पर भी कुप्रभाव पड़ता है। कृषकों से अपील है कि गुलों की मरम्मत व सफाई कर लें। पानी प्रयोग के पश्चात गुलों को बन्द कर दें।
4. यह क्रमावली, नदी के पानी की उपलब्धता, वर्षा एवं तकनीकी कारण से परिवर्तित भी हो सकता है।
5. किसी कारण से यदि कृषकों को पानी उपलब्ध नहीं होता है तो विभाग किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
6. नहरों की दशा काफी दयनीय है तथा उपलब्ध धनराशि में सम्पूर्ण सिल्ट की सफाई सम्भव नहीं है। अतः सभी टेलों तक पानी पहुँचेगा, यह सुनिश्चित नहीं है। प्रयास किया जायेगा कि सभी टेलों तक पानी पहुँचे।
7. विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्स्थापना परियोजना में प्रस्तावित सफाई का कार्य पूर्ण होने पर ही टेलें फीड हो सकेंगी।
8. मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर में औसतन 1.75 मी० सिल्टिंग होने के कारण समस्त नहरों की टेलें फीड नहीं हो सकेंगी।
9. स्वीकृत परियोजना में धन उपलब्ध होने पर फेजिंग कराकर नहरें साफ कराई जायेंगी जिसमें फेज में लिया गया नहरों में पानी नहीं दिया जायेगा।
10. मुख्य नहर निर्मित क्रास रेगुलेटर पर परिकल्पित जल की गहराई से चलाया जायेगा। इसमें गेज का परिवर्तन नहीं किया जाना है।
11. शाखाओं / राजवाहा शीर्ष पर परिकल्पित जल की गहराई से चलाया जायेगा। इसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जाना है।

1. चालू नहरें अधिकृत/क्रमावली/मांग के अनुसार चलाई जायेंगी।
2. बाल्मिकी नगर शीर्ष से वार्षिक मरम्मत के उपरान्त, पानी प्राप्त होने पर ही उ०प्र० की नहरें चलाई जा सकेंगी।
3. मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर में क्षति का विवरण
 (क) शीर्ष से कि०मी० 18.9 तक700क्यू०
 (ख) कि०मी० 18.9 से कि०मी० 47.14 तक 50क्यू०
 (ग) कि०मी० 47.14 से कि०मी० 118.4 तक350क्यू०
 योग 1100 क्यू०
4. नहरें बन्दी के उपरान्त दिनांक 26-04-2014 से चलाई जायेंगी जिसका प्रथम सप्ताह 7 दिवस एवं अन्तिम सप्ताह 2 दिवस का होगा, क्योंकि नहरें प्रत्येक सप्ताह में शनिवार से चलाई जाती हैं।

अधिकारियों का दूरभाष सम्पर्क सूत्र

क्रम सं०	नाम अधिकारी	कार्यालय	आवास
1.	श्री बी० एल० सचान, अधीक्षण अमि० गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल प्रथम, गो०	2200031	
2.	जिलाधिकारी, गोरखपुर	95551 2336007	2336005
3.	जिलाधिकारी, देवरिया	955568 222316	221816
4.	जिलाधिकारी, महाराजगंज	955423 222044	222206
5.	जिलाधिकारी, कुशीनगर	955514 235592	245392
6.	श्री दिनेश सिंह सचान अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, गो०	2201638	
7.	श्री राजेश चन्द्रा, अधिशाली अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम, महाराजगंज		223348
8.	श्री बाबूराम यादव, अधिशाली अभियन्ता सिंचाई खण्ड, कुशीनगर		271341
9.	श्री अर्जुन प्रसाद, अधिशाली अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय, कुशीनगर		
10.	श्री गुलाब चन्द्र सोनकर, अधि० अमि० सिंचाई खण्ड द्वितीय, देवरिया	224049	221341
11.	मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर	2335927	2353082
12.	मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज	222404	
13.	मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया	222415	222346
14.	मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर	240208	252950
15.	जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर		(0551) 2332158
16.	जिला कृषि अधिकारी, देवरिया	222419	220974
17.	जिला कृषि अधिकारी, महाराजगंज		223171
18.	जिला कृषि अधिकारी, कुशीनगर	245300	245300